संख्या-18/2021/1832/78-01-2021

प्रेषक,

डा0 उज्जवल कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2021

विषय: बरेली में आईटी पार्क की स्थापना हेतु विभाग द्वारा क्रय की जा रही दि इण्डियन टरपेन्टाईन एवं रोजिन कम्पनी लिमिटेड की भूमि के विक्रय विलेख का निबन्धन कराये जाने हेतु निबन्धन शुल्क धनराशि रु0 10,00,000 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी: 9064(2021-22)/731, दिनांक 28-10-2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में बरेली में आईटी पार्क की स्थापना हेतु विभाग द्वारा क्रय की जा रही दि इण्डियन टरपेन्टाईन एवं रोजिन कम्पनी लिमिटेड की भूमि के विक्रय विलेख का निबन्धन कराये जाने हेतु निबन्धन शुल्क धनराशि रु0 10,00,000 (रूपये दस लाख मात्र) को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा आहरित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संक्ष्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण राज्यकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(6) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष किया जायेगा।

(8) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ, धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से योजना के दिशा-निर्देश प्रभावित न हों।

(11) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक ''4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 02-इलेक्ट्रानिक,800-अन्य निवेश, 10- साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना, 24-बृहत् निर्माण कार्य मद'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आशा0 संख्या-ई-6-2414/दस-20212022-दिनांक 17-12-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(ड0 उज्जवल कुमार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-18/2021/1832(1)/78-1-2021 तद्दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2
12- अनु सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डा0 उज्जवल कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in